पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: L65910DL1986GOI024862

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली – 110 001, भारत

दूरभाष सं.: +91 11 23556000, **फैक्स:** +91 11 23512545,

Tel: +91 11 23556000, **Fax:** +91 11 23512545,

ई-मेल आईडी: investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट: www.pfcindia.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यवाही पूरी करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/ अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए **मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे** आयोजित की जाएगी:-

सामान्य कार्यवाही

1. प्राप्त करना, विचार करना और अपनाना

   क) दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के एकल लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

   ख) दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण सहित दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों तथा उन पर निदेशक मंडल, सांविधिक लेखापरीक्षक और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

3. श्री आर.आर. झा (डीआईएन: 03523954) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होने के कारण स्वयं के लिए प्रस्ताव किया है।

4. सांविधिक लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करना।

<u>विशेष कार्यवाही</u>

5. 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' को इस सीमा तक पूंजीकृत करके बोनस शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना कि पीएफसी के प्रत्येक शेयर का धारक 10/- रुपए के प्रत्येक चार (4) इक्विटी शेयर(ओं) के लिए 10/- रुपए प्रत्येक के एक (1) नए इक्विटी शेयर का हकदार होगा और इस संबंध में **साधारण संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर), नियम, 2014 (उस समय के लिए लागू किसी भी सांविधिक संशोधन या पुन: अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 60 के अनुसरण में तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का इश्यू और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियम], विदेशी मुद्रा एवं प्रबंधन अधिनियम, 1999, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, [सूचीबद्धता विनियम], भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड [सेबी], भारतीय रिजर्व बैंक [आरबीआई] एवं अन्य सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी लागू प्रावधान, विनियम और दिशानिर्देशों के अनुसार तथा ऐसी सहमति, अनुमति, शर्तों और अनुमोदन के अध्यधीन, जो उपयुक्त प्राधिकारियों से आवश्यक हो सकते हैं तथा ऐसे शर्तों और संशोधनों के अध्यधीन, जो ऐसे अनुमोदनों के अनुसार निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, और कंपनी के निदेशक मंडल की सिफारिश (बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस समय के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी प्राधिकारी सहित) के अनुसरण में, एतदद्वारा कंपनी के शेयरधारकों का अनुमोदन निदेशक मंडल को प्रदान किया जाना है और किया जाता है कि कंपनी के 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से 660,02,03,520/- रुपए (छह सौ साठ करोड़ दो लाख तीन हजार पांच सौ बीस रुपए मात्र) तक की राशि का पूंजीकरण करना होगा, जो 10/- रुपए प्रत्येक (केवल दस रुपए) के अंकित मूल्य के बोनस शेयरों को जारी करने और आवंटित करने के लिए है, जो कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के धारकों, तथा जिनके नाम कंपनी द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर/नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त लाभकारी मालिकों की सूची में आते हैं, को उनकी कथित धारिता के आधार पर पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों के रूप में कंपनी द्वारा निर्धारित तिथि ("रिकॉर्ड तिथि") पर क्रेडिट किया जाना है, जो 1:4 के अनुपात में होगा अर्थात रिकॉर्ड तिथि तक शेयरधारकों द्वारा धारित 10/- रुपए प्रत्येक के प्रत्येक मौजूदा चार (4) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(ओं) के लिए 10/- रुपए प्रत्येक का एक (1) नया पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर और कि इस प्रकार जारी और आवंटित किए गए नए बोनस शेयरों को सभी प्रयोजनों के लिए ऐसे प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित कंपनी के प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि के रूप में माना जाएगा, न कि आय के रूप में।

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** बोनस शेयरों के रूप में जारी और आवंटित किए जाने वाले 10/- रुपए प्रत्येक के नए इक्विटी शेयर, कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे और सभी मामलों में पारी पस्सु रैंक के होंगे तथा कंपनी के मौजूदा पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर के रूप में समान अधिकार रखेंगे, सिवाय इसके कि ये

बोनस शेयर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए पात्र नहीं होंगे, और इस प्रकार आवंटित बोनस शेयरों के बाद घोषित किए जाने वाले किसी भी लाभांश और अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई में पूर्ण रूप से शामिल होने के हकदार होंगे।"

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** नए बोनस इक्विटी शेयरों का इश्यू और आवंटन उस सीमा तक होगा जब वे अनिवासी सदस्यों (एनआरआई), भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ), विदेशी कॉर्पोरेट निकाय (ओसीबी) और कंपनी के अन्य विदेशी निवेशक से संबंधित हों, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इस संबंध में समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी/संशोधित अन्य लागू नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के तहत आरबीआई के अनुमोदन, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** सेबी (आईसीडीआर) विनियमों और सूचीबद्धता विनियमों के अनुसरण में, बोनस इश्यू में शेयरों का आवंटन केवल डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में किया जाएगा और इस प्रकार, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में, बोनस इक्विटी शेयर सदस्यों के संबंधित लाभार्थी खातों में उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ जमा किया जाएगा और उन सदस्यों के मामले में जो फिजिकल फॉर्म में इक्विटी शेयर रखते हैं, बोनस इक्विटी शेयर ऐसे समय के भीतर इस संबंध में खोले गए सस्पेंस खाते में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जैसा कि विधि और संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित है, जो इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन है।"

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** बोनस इक्विटी शेयरों के इश्यू और आवंटन से उत्पन्न आंशिक शेयरों के मामले में, यदि कोई हो, निदेशक मंडल (बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा विधिवत गठित किसी भी समिति या किसी भी प्राधिकारी सहित जिसे बोर्ड द्वारा उस समय के लिए अनुमोदित किया जा सकता है) को एतदद्वारा पात्र शेयरधारकों के हितलाभ के लिए ऐसे अंशों से संबंधी कार्य का निर्वहन करने के लिए एक ट्रस्टी को नियुक्त करने सहित उपयुक्त व्यवस्था करने के लिए अधिकृत किया जाना है और किया जाता है, जिसमें नियुक्त की जाने वाली समिति/ट्रस्टी/व्यक्ति(ओं) को ऐसे अंशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का आवंटन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो उन्हें ऐसे शेयरधारकों के लिए ट्रस्ट में रखेगा और जितनी जल्दी हो सके, ऐसे इक्विटी शेयरों को मौजूदा बाजार दर पर बेच देगा तथा लागत एवं उसके संबंध में व्ययों को समायोजित करने के बाद ऐसे इक्विटी शेयरों की निवल बिक्री आय ऐसे शेयरधारकों के बीच वितरित की जाएगी जो अपने संबंधित आंशिक हकदारी के अनुपात में ऐसे अंशों के हकदार हैं।

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल/कंपनी सचिव को ऐसे सभी कृत्यों, कार्यों और आचार को करने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाना है और किया गया है जो उपर्युक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जिसमें रिकॉर्ड तिथि का निर्धारण, उक्त बोनस शेयरों के जारी करने, आवंटन और सूचीबद्ध करने के संबंध में किसी भी प्रश्न या संदेह या कठिनाई का निपटान शामिल है तथा उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

"**आगे संकल्प किया जाता है कि** पूर्वगामी संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को एतदद्वारा इन संकल्पों द्वारा प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को समिति या किसी अन्य निदेशक, कंपनी सचिव या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाना है और किया जाता है, जिसमें ऐसी समिति(ओं) को अपनी सभी या किसी भी शक्ति को आगे प्रत्यायोजित करना शामिल होगा।

6. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) की नियुक्ति करना। विचार करना तथा यदि उचित पाए जाते हैं, तो सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या बिना पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1सी) और अन्य लागू प्रावधानों और/या कोई अन्य लागू विधि (उस समय लागू किसी भी सांविधिक संशोधन(ओं), आशोधन(ओं) या उसके पुन: अधिनियमन(ओं) सहित), कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसरण में, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 14 अगस्त, 2023 के आदेश सं. 24-8/1/2022-पीएफसी (भाग-3) (एमओपी) के तहत, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, (डीआईएन:08530587) को कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित निबंधन एवं शर्तों पर कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना है और किया जाता है।

आदेशानुसार निदेशक मंडल
ह/-
मनीष कुमार अग्रवाल
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
ऊर्जानिधि, 1 बाराखंबा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001
सीआईएन: L65910DL1986GOI024862
दिनांक: 21 अगस्त, 2023

टिप्पणी:-

1. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 मई, 2022 और 5 मई, 2020 के परिपत्रों के साथ पठित 28 दिसंबर, 2022 के अपने परिपत्र (सभी मिलकर 'एमसीए परिपत्रों' के रूप में उल्लिखित) तथा सेबी ने 13 मई, 2022 के साथ पठित 5 जनवरी, 2023 के परिपत्र द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम" / "बैठक") आयोजित करने की अनुमति प्रदान की है। एमसीए परिपत्रों, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। एजीएम के लिए मानित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

2. कंपनी ने सदस्यों को केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक), रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) द्वारा प्रदान की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की है। सदस्यों द्वारा भाग लेने के लिए अनुदेश आगामी पैरा में दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर होगी।

3. एमसीए परिपत्रों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 37वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

4. कंपनी, सदस्यों को एजीएम के दौरान रिमोर्ट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग दोनों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग अवधि 09 सितंबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.00 बजे शुरू होगी और 11 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5.00 बजे समाप्त होगी। ई-वोटिंग की प्रक्रिया अगले पैरा में दी गई है। यह ई-वोटिंग सुविधा वोटिंग के अतिरिक्त है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही 37वीं वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।

5. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले नहीं डाला है, उन्हें एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे दिया है, वे एजीएम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पुन: अपना वोट देने का हक नहीं होगा।

   एक बार किसी सदस्य द्वारा संकल्प पर वोट दे दिया जाता है, तो सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य वोटिंग के केवल सिंगल मोड का ही चयन कर सकता है अर्थात रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों माध्यम से वोट डालता है, तो रिमोट ई-वोटिंग के

माध्यम से की गई वोटिंग मान्य होगी और एजीएम के समय दिया गया वोट अवैध माना जाएगा।

6. कंपनी ने बुधवार, 06 सितंबर, 2023 की तारीख का निर्धारण 37वीं एजीएम में की जाने वाली कार्यवाही की मदों के संबंध में वोट देने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए निर्धारित तारीख के रूप में की है।

कोई व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपॉजिटरीयों द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में, निर्धारित तारीख के अनुसार दर्ज किया गया है, उसे रिमोर्ट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हक होगा। वोटिंग का अधिकार नियत तारीख के अनुसार सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा। सदस्य केवल तभी वोट देने के लिए पात्र होंगे, जब उनके पास इस समय धारित शेयर हों। कृपया यह नोट करें कि ऐसा कोई व्यक्ति जो नियत तारीख को कंपनी का सदस्य नहीं है, वह इस नोटिस को केवल सूचना के रूप में माने।

7. कंपनी ने श्रीमती नयन हांडा, पार्टनर, मैसर्स मेहता एंड मेहता, कंपनी सचिव, (एफसीएस सं.: 11993, सी.पी. सं.: 18686) को ई-वोटिंग प्रक्रिया की एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षक के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त किया है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और वोट करने के लिए पात्र कोई सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है। चूंकि 37वीं एजीएम, एमसीए परिपत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही है, अत: सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति अनावश्यक हो गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा 37वीं एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसीलिए प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति स्लिप और रूट मानचित्र इस सूचना के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं।

9. कॉर्पोरेट सदस्यों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और उनकी ओर से वोट करने के लिए अपने प्रतिनिधि अधिकृत करने हेतु बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि भेजनी आवश्यक है। उक्त संकल्प/प्राधिकार-पत्र nayan@mehta-mehta.in के पंजीकृत ई-मेल पते पर और एक प्रतिलिपि evoting@kfintech.com को भेजते हुए संवीक्षक को ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी।

10. यदि बैठक में संयुक्त धारक भाग ले रहे हैं, तो केवल ऐसा संयुक्त धारक ही वोट के लिए हकदार होगा, जो नामों में उच्च क्रम पर है।

11. सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 5 सितंबर, 2023 से मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे।

12. एमसीए परिपत्रों के अनुसार, 37वीं एजीएम की सूचना और साथ में वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 ऐसे सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरीयों के पास दर्ज है। कृपया सदस्य यह नोट करें कि यह सूचना

और वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट https://www.pfcindia.com/investors/annual-reports/, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर तथा केफिनटेक, आरटीए की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com/ पर भी उपलब्ध है।

13. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अंतर्गत अपेक्षानुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार सूचना के क्रमशः मद सं. 3 और 6 के तहत रोटेशन पर सेवानिवृत्त होने वाले और पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले निदेशक के संक्षिप्त प्रोफाइल सूचना का हिस्सा है।

14. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10/- रुपए प्रति शेयर के प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर **4.50/- रुपए (चार रुपए और पचास पैसे मात्र)** (टीडीएस की कटौती के अध्यधीन) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 8.75/- प्रति इक्विटी शेयर (टीडीएस की कटौती के अध्यधीन) के अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है जिसे पहले ही घोषित किया जा चुका है और जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है। अंतिम लाभांश, यदि घोषित किया जाता है, एजीएम में अनुमोदन की तारीख से 30 दिन की सांविधिक अवधि के भीतर भुगतान किया जाएगा।

15. वित्त अधिनियम, 2020 और 2021 के प्रावधानों द्वारा यथा संशोधित और उसके साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 के बाद कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया लाभांश शेयरधारकों के पक्ष में कर योग्य है। कंपनी को अपने शेयरधारकों को लाभांश आय के वितरण पर लागू दरों पर स्रोत पर कर की कटौती करनी अपेक्षित है। टीडीएस काटने की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ श्रेणी के शेयरधारकों जैसे म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों को छूट दी गई है जबकि अन्य श्रेणी जैसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक के लिए कर की कटौती 20% (प्लस अधिभार और उपकर) या दोहरा कराधान परिहार समझौता (डीटीएए) के तहत लागू कर की लाभकारी दर पर की जानी होगी।

टीडीएस के लिए लागू दर का निर्धारण करने के लिए कंपनियों को शेयरधारकों की कुछ श्रेणियों को कुछ विवरण और अपेक्षित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए म्युचुअल फंड, बीमा कंपनियों आदि की श्रेणी के शेयरधारकों के संबंध में कहें तो कंपनियां टीडीएस दरों का निर्धारण करने के लिए पैन, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, स्व-घोषणा आदि जैसे कुछ दस्तावेज मांगती हैं। लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक ऐसी कंपनी को शेयरधारकों द्वारा ये विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। समान्यतः म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों आदि जैसे शेयरधारकों के संबंध में, ये विवरण और दस्तावेज शेयरधारकों की ओर से लाभांश की घोषणा करने वाली प्रत्येक कंपनी को उनके संरक्षक द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात भारत में स्थापित बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) तथा गैर-आवासीय गैर-व्यक्तिगत सदस्य अर्थात विदेशी संस्थागत निवेशक और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपने संबंधित संरक्षक, जो एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर उपर्युक्त समय-सीमा पर या उससे पहले पंजीकृत है, के माध्यम से वैकल्पिक रूप से संबंधित फॉर्म/घोषणा/दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

यदि एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर पहले से दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए हैं, तो यह संरक्षक को अपने म्यूचुअल फंड/बीमा कंपनियों/एफपीआई ग्राहकों के दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प प्रदान करेगा, जो संरक्षक से प्राप्त कई ईमेल को ट्रैक करने के लिए जारीकर्ता/ आरटीए की आवश्यकता के बिना रिकॉर्ड तिथि तक लाभार्थी स्थिति के अनुसार आरटीए में स्वतः डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा, जिन डीमैट खातों के लिए निवेशक दस्तावेज डाउनलोड किए गए हैं, उनके विवरण संबंधी रिपोर्ट जारीकर्ता/आरटीए के लिए उपलब्ध होगी, जिससे उन्हें समाधान की सुविधा प्राप्त होगी।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में अथवा आम बैठक में यथानिर्धारित किसी अन्य तरीके से उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सदस्य, निदेशक मंडल को, बोर्ड द्वारा यथा उपयुक्त तरीके से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लेखापरीक्षकों के उपयुक्त पारिश्रमिक का निर्धारण करने हेतु अधिकृत कर सकते हैं।

17. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 40(1) के परंतुक के अनुसार, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी की प्रतिभूतियों का अंतरण तब तक शुरू नहीं किया जाएगा, जब तक प्रतिभूतियां किसी डिपॉजिटरी में डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में रखी न गई हो। तदनुसार, फिजिकल रूप में इक्विटी शेयरों को धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों को डीमैटीरियलाइज़्ड रूप में रखें ताकि वे उन्हें आसानी से अंतरण कर सकें और कॉर्पोरेट कार्यों में भाग ले सकें।

18. इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी भागीदारों (डीपी) के साथ पैन, पिन के साथ पता, ईमेल मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन अपडेट करें, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते बनाए हुए हैं।

फिजिकल रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को किसी भी परिवर्तन/अद्यतन के संबंध में बता दें। फिजिकल शेयरों से संबंधित उक्त अद्यतन/परिवर्तन को सेबी के दिनांक 3 नवंबर, 2021 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के अनुसार निर्धारित फॉर्म आईएसआर-1 और अन्य फॉर्म में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार सूचित किया जाना चाहिए। उक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट- इन्वेस्टर सपोर्ट

सेंटर (आईएससी) वेबपेज https://ris.kfintech.com/clientservices/ isc/default.aspx से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

सेबी ने 16 मार्च, 2023 के अपने परिपत्र के माध्यम से फिजिकल प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा 1 अक्टूबर, 2023 तक पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन जमा करना अनिवार्य कर दिया है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित धारा 124 के अनुसरण में, सात वर्ष की अवधि के लिए अदत्त/अदावा की गई लाभांश की राशि केंद्र सरकार के निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करनी आवश्यक है। जिन शेयरों के संबंध में लाभांशों का भुगतान नहीं किया गया है अथवा लगातार सात वर्ष या अधिक अवधि तक के लिए दावा नहीं किया गया है, वे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। जिन सदस्यों के संबंध में अदावा की गई लाभांशों/शेयरों की राशि आईईपीएफ को हस्तांरित कर दी गई है, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म आईईपीएफ-5 में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक ऑनलाइन आवेदन करके उसका दावा कर सकते हैं। निवेशकों के ब्यौरे (जिनका भुगतान बकाया है) कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, ताकि निवेशक उनका दावा कर सकें।

20. भौतिक रूप में मल्टीपल फोलियो में शेयरधारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने संगत शेयर प्रमाण-पत्रों सहित कंपनी अथवा केफिनटेक, कंपनी के आरटीए को एक फोलियो में अपनी होल्डिंग को समेकित करने हेतु आवेदन करें। अपेक्षित परिवर्तन करने के बाद एक पुष्टिकरण पत्र जारी किया जाएगा जिसे सदस्य को डीमैट के लिए डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास जमा करना होगा।

21. जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे शेयरों अथवा किसी अन्य मामले में ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब डिवीजन, समेकन और/अथवा नाम, पते, ई-मेल पते, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी अथवा बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम एवं शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि में बदलाव से संबंधित समस्त पत्राचार कंपनी के आरटीए को भेजें तथा यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हैं तो अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी को भेजें।

22. एकल नाम या संयुक्त रूप से फिजिकल शेयर रखने वाले सदस्यों को कंपनी में अपनी शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने की सलाह दी जाती है। नामांकन फॉर्म आरटीए वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य पहले के नामांकन से बाहर निकलने या रद्द करने और नया नामांकन दर्ज करने का इच्छुक है, तो वह इसे फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14, जैसा भी मामला हो, में जमा कर सकता है। उक्त फॉर्म आरटीए की वेबसाइट-निवेशक सहायता केंद्र (आईएससी) वेबपेज https://ris.kfintech.com/clientservices/ isc/default.aspx से डाउनलोड किया जा सकता है।

23. वित्तीय विवरणों और इस बैठक की कार्यवाही की किसी अन्य मद)ओं(के संबंध में कोई भी सूचना चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रश्न कंपनी

के कंपनी सचिव को agm2023@pfcindia.com पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले भेजें। कंपनी द्वारा उसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

24. संबद्ध सूचना और स्पष्टीकरण विवरण तथा सांविधिक रजिस्टर में उल्लिखित समस्त दस्तावेज इस सूचना के परिचालन की तारीख से एजीएम की तारीख अर्थात 12 सितंबर, 2023 तक कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध रहेंगे।

25. संकल्पों के परिणाम कंपनी की वार्षिक आम बैठक के बाद घोषित किए जाएंगे और संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तारीख को पारित किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त हों। घोषित किए गए परिणाम और संवीक्षक की रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) पर और केफिनटेक की वेबसाइट (https://evoting.kfintech.com) पर उपलब्ध होंगे और बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोटिंग

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी अपने सभी शेयरधारकों को इस बैठक में विचार की जाने वाली मदों के संबंध में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव कर रही है। कंपनी ने एजीएम के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु केफिनटेक की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि 09 सितंबर, 2023 को प्रात: 10:00 बजे से शुरू होकर 11 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5.00 बजे तक रहेगी। केफिनटेक द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल 11 सितंबर, 2023 को अपराह्न 5.00 बजे बंद कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश नीचे दिए गए हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना वोट देने से पहले इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और अनुदेश

I. कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले **व्यक्तिगत शेयरधारकों** द्वारा रिमोट ई-वोटिंग करने के लिए अनुदेश

सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित परिपत्र के अनुसार, कंपनी के शेयरों को डीमैट रूप में धारण करने वाले सभी व्यक्तिगत शेयरधारक, डिपॉजिटरियों/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट पर उनके डीमैट खाते के माध्यम से सिंगल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। तदनुसार, डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा यथा विकसित रिमोट ई-वोटिंग सुविधा लॉगिन करने और एक्सेस करने के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है:

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
एनएसडीएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक/	**1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत यूजर हेतु:** I. https://eservices.nsdl.com पर जाएं। II. 'आईडीईएएस' खंड के अंतर्गत 'लॉगिन' के अंतर्गत 'बेनिफिसियल ऑनर' पर क्लिक करें। III. नए पेज पर, यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद 'ई-वोटिंग एक्सेस' पर क्लिक करें। IV. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर ले जाया जाएगा। **2. जो यूजर आईडीईएएस ई-सर्विसिज के लिए पंजीकृत नहीं है, उनके लिए:** I. पंजीकरण के लिए लिंक https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। II. 'आईडीईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण' चुने अथवा https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। III. अपेक्षित फील्ड को भरते हुए आगे बढ़ें। IV. बिंदु 1 में दिए गए स्टैप का अनुसरण करें। **3. वैकल्पिक रूप से एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट को सीधे एक्सेस करके:** I. यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ खोलें। II. 'लॉगिन' आइकॉन पर क्लिक करें, जो कि 'शेयरधारक/सदस्य' सेक्शन में उपलब्ध है। III. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको यूजर आईडी)अर्थात एनएसडीएल के पास आपका 16 डिजिट का डीमैट खाता(, पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई देगा, डालना होगा। IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण होने के बाद, आपसे कंपनी का नाम और ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का नाम अर्थात केफिनटेक का चयन करने के लिए अनुरोध किया जाएगा। V. सफलतापूर्वक चयन करने के बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए केफिनटेक ई-वोटिंग पेज पर ले जाया जाएगा।
सीडीएसएल के पास डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	**1. मौजूदा यूजर, जिन्होंने ईजी/ ईजियस्ट के लिए विकल्प किया है:** I. यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com पर जाएं। II. न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। III. अपने पंजीकृत यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

	IV. यूजर को ई-वोटिंग मेन्यू दिखाई देखा। मेन्यू में ईएसपी अर्थात केफिनटेक ई-वोटिंग पोर्टल के लिए लिंक होगा। V. वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें। **2. जो यूजर ईजी/ ईजियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं हैं:** I. पंजीकरण के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login पर उपलब्ध है। II. अपेक्षित फील्ड को पूरा करके आगे बढ़ें। III. बिंदु 1 में दिए गए स्टैप का अनुसरण करें। **3. वैकल्पिक रूप से, सीएसडीएल की ई-वोटिंग सुविधा सीधे एक्सेस करके:** I. यूआरएल : www.cdslindia.com पर जाएं। II. अपना डीमैट खाता संख्या ओर पैन संख्या प्रदान करें। III. सिस्टम द्वारा, पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर, जो डीमैट खाते में दर्ज है, ओटीपी भेजकर यूजर का प्रमाणीकरण किया जाएगा। IV. सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण करने के बाद यूजर को संबंधित ईएसपी अर्थात **केफिनटेक** के लिए लिंक दिया जाएगा, जहां पर कि ई-वोटिंग हो रही है।
अपने डीमैट खाते/ डिपॉजिटरी प्रतिभागी की वेबसाइट के माध्यम से लॉगिन करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	I. ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के पास पंजीकृत अपने डीपी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। II. लॉगिन कर लेने के बाद आप ई-वोटिंग का विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग के विकल्प पर क्लिक करने के बाद, आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी की साइट पर सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के बाद ले जाया जाएगा, जिसमें आप ई-वोटिंग का फीचर देख सकते हैं। III. कंपनी के नाम अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - **केफिनटेक** के लिए उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान बिना आगे प्रमाणीकरण किए, अपना वोट देने के लिए **केफिनटेक** की ई-वोटिंग वेबसाइट पर ले जाया जाएगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्य यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध फोरगॉट यूजर आईडी और फोरगॉट पासवर्ड के विकल्प का प्रयोग करें।

डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीएसडीएल के माध्यम से लॉगिन संबंधी किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्प डेस्क।

व्यक्तिगत सदस्य, जो उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के माध्यम से वोट दे रहे हैं, वे हेल्पलाइन/ संपर्क विवरण पर उनके संबंधित डीपी से संपर्क करें।

लॉगिन टाइप	**हेल्प डेस्क ब्यौरा**
एनएसडीएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नं. **1800 1020 990** और **1800 22 44 30** पर फोन करके एनएसडीएल हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।
सीडीएसएल के पास धारित प्रतिभूति	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या हेल्प डेस्क **022-23058738** अथवा **022-23058542-43** पर संपर्क करके सीडीएसएल हेल्प डेस्क से संपर्क करें।

II डीमैट रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त और भौतिक रूप में प्रतिभूतियां धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग हेतु लॉगिन का तरीका।

(क) यदि सदस्य केफिनटेक से ई-मेल प्राप्त कर रहे हैं *(ऐसे सदस्यों के लिए लागू, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं)*

i. किसी इंटरनेट ब्राउजर पर जाएं और https://emeetings.kfintech.com/ खोलें।

ii. लॉगिन क्रेडेंशियल डालें (अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड)। फिजिकल फोलियो के मामले में, यूजर आईडी, ईवीईएन (ई-वोटिंग ईवेंट नंबर) xxxx, के बाद फोलियो नंबर होगा। यदि डीमैट खाता है तो यूजर आईडी आपका डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी होगा। तथापि, यदि आप पहले से ही केफिनटेक के पास ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट देने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

iii. उपर्युक्त ब्यौरे दर्ज करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।

iv. पासवर्ड बदलने का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद का नया पासवर्ड डाल कर पासवर्ड बदलें। नए पासवर्ड में कम-से-कम 8 कैरेक्टर होंगे, जिनमें कम-से-कम एक अपर केस (ए-जेड), एक लोवर केस (ए-जेड); एक अंक (0-9) और एक स्पेशल कैरेक्टर(@, #, $, आदि) होगा। सिस्टम आपको पहली बार में लॉगिन पर अपना संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, आदि अपडेट करने लिए भी कहेगा। आप एक गुप्त प्रश्न भी डाल सकते हैं और अपना पासवर्ड भूलने की स्थिति में पुन: प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का उत्तर डाल सकते हैं। आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति से साझा न करें और आप पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें। आपको नए क्रेडेंशियल के साथ पुन: लॉगिन करना होगा।

v. सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर सिस्टम आपको तुरंत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईवीईएन का चयन करने और 'सबमिट' पर क्लिक करने के लिए कहेगा।

vi. वोटिंग पेज पर 'फोर/अगेंस्ट' के अंतर्गत नियत तारीख अर्थात 15 सितंबर, 2022 तक शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाता है) प्रविष्ट करें अथवा वैकल्पिक रूप से आप 'फोर' और 'अगेंस्ट' के लिए कोई अलग संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'फोर'/ 'अगेंस्ट' में कुल संख्या मिलाकर आपकी ऊपर दी गई कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होगी। आप 'एब्सटेन' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं। यदि सदस्य 'फोर' अथवा 'अगेंस्ट' का उल्लेख नहीं करता तो उसे 'एब्सटेन' माना जाएगा और धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।

vii. इसके अतिरिक्त, अनेक फोलियो/डीमैट खातों को धारण करने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खातों के लिए अलग वोटिंग प्रक्रिया का चयन करेंगे।

viii. सूचना की प्रत्येक मद के लिए अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप किसी भी संबंधित मद पर वोट नहीं करना चाहते हैं तो इसे 'एब्सटेन' माना जाएगा।

ix. तब आप किसी उपयुक्त विकल्प का चयन करके और 'सबमिट' पर क्लिक करके अपना वोट दे सकते हैं।

x. एक पुष्टि का बॉक्स प्रदर्शित होगा। पुष्टि करने के लिए 'ओके' पर क्लिक करें अथवा संशोधन करने के लिए 'कैंसल' पर क्लिक करें। एक बार जब आपने संकल्प पर वोट दे दिया है, तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी। वोटिंग की अवधि के दौरान, सदस्य संकल्प पर वोट देने तक चाहे जितनी बार लॉगिन कर सकते हैं।

xi. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तिगत, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के सत्यापित हस्ताक्षर नमूनों के साथ बोर्ड संकल्प/प्राधिकार-पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि (पीडीएफ फार्मेट में) संवीक्षक को ई-मेल आईडी nayan@mehta-mehta.in पर और उसकी प्रतिलिपि evoting@kfintech.com पर भी भेजनी अपेक्षित है। उपर्युक्त दस्तावेज की स्कैन की गई ईमेज 'कॉर्पोरेट नाम_इवेंट नं.' फार्मेट में होनी चाहिए।

(ख) जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं:

i. कृपया ई-मेल पते के पंजीकरण के लिए टिप्पणी के बिंदु सं. 18 में यथा उल्लिखित स्टैप का अनुसरण करें।

ii. कृपया ई-मेल आईडी के पंजीकरण के पश्चात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट देने के लिए उपर्युक्त सभी स्टैप का अनुसरण करें।

III. किसी भी प्रकार के प्रश्न के मामले में आप हेल्प और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग मैनुअल को देख सकते हैं, जो केफिनटेक की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध है अथवा आप सुश्री स्वाति रेड्डी (यूनिट: पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) से

einward.ris@kfintech.com और evoting@kfintech.com पर संपर्क कर सकते हैं अथवा केफिनटेक के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए संपर्क कर सकते हैं।

IV. जिन सदस्यों ने वार्षिक रिपोर्ट भेजने के बाद और नियत तारीख अर्थात 6 सितंबर, 2023 को अथवा उससे पूर्व शेयर अर्जित किए हैं, वे निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वोट के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं:

क) यदि सदस्य का ई-मेल अथवा मोबाइल नंबर, फोलियो सं./डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के लिए पंजीकृत है:

सदस्य **9212993399** पर एसएमएस : MYEPWD <space> इवेंट नंबर+फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी भेज सकते हैं।

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : **MYEPWD <SPACE> IN12345612345678**
सीडीएसएल के लिए उदाहरण : **MYEPWD <SPACE> 1402345612345678**
फिजिकल के लिए उदाहरण : **MYEPWD <SPACE> POW1234567**

अथवा

सदस्य https://evoting.kfintech.com के होम पेज पर जा सकते हैं और पासवर्ड बनाने के लिए 'फोरगॉट पासवर्ड' पर क्लिक करके फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी क्लाइंट आईडी और पैन संख्या डाल सकते हैं।

ख) यदि सदस्य को एजीएम के दौरान अथवा पहले कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो, तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक के टोल फ्री नं.1-800-309-4001 पर संपर्क कर सकते हैं अथवा उन्हें einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए अनुदेश:

1. सदस्य 'वीडियो कॉन्फ्रेंस टैब' को क्लिक करके और https://emeetings.kfintech.com/ पर यूजर आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके, जो केफिनटेक से प्राप्त मेल में प्रदान किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। एजीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्यों के लॉगिन में उपलब्ध होगा, जहां 'इवेंट' और 'कंपनी का नाम' चुना जा सकता है। वीडियो सिंबल पर क्लिक करके बैठक में शामिल होने के लिए बैठक को स्वीकार करें। कृपया यह नोट करें कि जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराए हैं अथवा जिनके पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं अथवा यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे उसे इस सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करके पुन: प्राप्त कर सकते हैं।

2. एजीएम में शामिल होने के लिए सुविधा, एजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले शुरू होगी और ऐसे नियत समय के 15 मिनट के बाद समाप्त होगी।

3. सदस्यों के बेहतर अनुभव के लिए गूगल क्रोम (अधिमानित ब्राउजर) का इस्तेमाल करके बैठक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

4. सदस्यों को दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा के लिए वेब केम की सुविधा प्रदान करनी होगी।

5. सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुचारु रूप से भाग लेने के लिए स्थिर वाई-फाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करें। प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो रुकावट आ सकती है।

6. जो सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं अथवा प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे https://emeetings.kfintech.com/ पर विजिट कर सकते हैं और अपना नाम, डिमेट खाता संख्या/फोलियो नंबर, ई-मेल पता और मोबाइल नंबर डालकर, प्रदान किए गए विंडो में अपने प्रश्न पूछने के लिए 'पोस्ट योर क्वश्चन' टेब पर क्लिक करें। यह विंडो 9 सितंबर, 2023 से 10 सितंबर, 2023 तक सक्रिय रहेगी।

7. उपर्युक्त स्टैप के अतिरिक्त, जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहें, वे अपने विचार प्रकट करने के लिए एजीएम के लिए स्पीकर के रूप में स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं, तदनुसार, सदस्य https://emeetings.kfintech.com/ पर जाकर 9 सितंबर, 2023 से 10 सितंबर, 2023 तक 'स्पीकर रजिस्ट्रेशन' पर क्लिक कर सकते हैं। सदस्यों को एजीएम से पहले एक 'क्यू नंबर' दिया जाएगा। कंपनी के पास केवल उतने सदस्यों को ही एजीएम में बोलने के लिए सीमित रखने का अधिकार है, जिन्होंने स्वयं को पंजीकृत कराया है, जो एजीएम के लिए समय की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

8. जिन सदस्यों ने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र हैं। एजीएम के दौरान ई-

वोटिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। सदस्य अपना वोट देने के लिए स्क्रीन के बायीं ओर वोटिंग आइकोन (अंगूठे के निशान) पर क्लिक कर सकते हैं।

9. यदि किसी सदस्य को एजीएम से पूर्व अथवा एजीएम के दौरान कोई तकनीकी सहायता अथवा सहयोग की आवश्यकता हो तो उनसे अनुरोध है कि वे केफिनटेक प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं अथवा टोल फ्री नं. 1-800-309-4001 पर कॉल कर सकते हैं अथवा evoting@kfintech.com पर उन्हें लिख सकते हैं।

सूचना में निर्धारित विशेष कार्यवाही के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विवरण।

मद सं. 5

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 5 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' को इस सीमा तक पूंजीकृत करके बोनस शेयर जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान करना कि पीएफसी के प्रत्येक शेयर का धारक 10/- रुपए के प्रत्येक चार (4) इक्विटी शेयर(ओं) के लिए 10/- रुपए प्रत्येक के एक (1) नए इक्विटी शेयर का हकदार होगा

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं. 5/2/2016-पॉलिसी के माध्यम से सीपीएसई(यों) के पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने 11 अगस्त, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी के शेयरधारकों को 1:4 के अनुपात में अर्थात रिकॉर्ड तिथि तक शेयरधारकों द्वारा धारित 10/- रुपए प्रत्येक के प्रत्येक मौजूदा चार (4) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर(ओं) के लिए 10/- रुपए प्रत्येक का एक (1) नया पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर जारी करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है, जिसे कंपनी के 'प्रतिभूति प्रीमियम खाते' में जमा राशि में से 660,02,03,520/- रुपए (छह सौ साठ करोड़ दो लाख तीन हजार पांच सौ बीस रुपए मात्र) की राशि के पूंजीकरण द्वारा किया जाएगा।

कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा प्रतिभूति प्रीमियम खाते के पूंजीकरण द्वारा बोनस शेयर जारी करने के लिए अधिकृत करता है।

बोनस शेयरों का इश्यू, यदि शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 के प्रावधानों, सूचीबद्धता विनियमों या उस समय लागू किसी भी अन्य सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा तथा उपयुक्त प्राधिकारियों से यथा अपेक्षानुसार सहमति और अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

इसके अलावा, बोनस इक्विटी शेयरों के इश्यू से उत्पन्न होने वाले आंशिक हकदारी के मामले में, निदेशक मंडल पात्र शेयरधारकों के हितलाभ के लिए ऐसे अंशों के निर्वहन हेतु उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जिसमें ऐसे अंशों का एकत्रीकरण और बोर्ड द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति/ट्रस्टी/व्यक्ति (व्यक्तियों) को ऐसे अंशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या का आवंटन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो उन्हें ऐसे शेयरधारकों के लिए ट्रस्ट में रखेगा और जितनी जल्दी हो सके, ऐसे इक्विटी शेयरों को

मौजूदा बाजार दर पर बेच देगा तथा लागत एवं उसके संबंध में व्ययों को समायोजित करने के बाद ऐसे इक्विटी शेयरों की निवल बिक्री आय ऐसे शेयरधारकों के बीच वितरित की जाएगी जो अपने संबंधित आंशिक हकदारी के अनुपात में ऐसे अंशों के हकदार हैं।

इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 294(6) के अनुसार, बोनस इश्यू में शेयरों का आवंटन केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में किया जाएगा, और इस प्रकार, डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में, बोनस इक्विटी शेयर सदस्यों के संबंधित लाभार्थी खातों में उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ जमा किया जाएगा तथा उन सदस्यों के मामले में जो फिजिकल रूप में इक्विटी शेयर रखते हैं, बोनस इक्विटी शेयर इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों, कानून और संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के अधीन इस संबंध में खोले गए सस्पेंस खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे।

मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और नोटिस में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज, एजीएम की तारीख तक कंपनी की वेबसाइट **www.pfcindia.com** पर लॉग-इन करने पर शेयरधारकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 60 के संदर्भ में, कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के लिए साधारण संकल्प पारित करके शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित है।

किसी भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय या अन्यथा कोई चिंता या अभिरुचि नहीं है।

तदनुसार, पीएफसी का निदेशक मंडल इस सूचना के क्रम संख्या 5 पर दिए गए संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद सं. 6

निम्नलिखित कथन संलग्न सूचना की मद सं. 6 में उल्लिखित विशेष कार्यवाही से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित करता है:

कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में, श्रीमती परमिंदर चोपड़ा (डीआईएन: 08530587) की नियुक्ति करना।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 14 अगस्त, 2023 के आदेश सं. . 24-8/1/2022-पीएफसी (भाग-3) (एमओपी) के अनुसरण में, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने 14 अगस्त, 2023 से श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, (डीआईएन:08530587) को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया।

कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की उक्त नियुक्ति के लिए सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 17(1सी) के संदर्भ में सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता है। श्रीमती परमिंदर चोपड़ा की नियुक्ति को विनियमित करने वाली निबंधन एवं शर्तें भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएंगी।

उनका संक्षिप्त विवरण, अन्य बातों के साथ-साथ, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता की प्रकृति देते हुए प्रदान किया जा रहा है जो इस सूचना का भाग है।

श्रीमती परमिंदर चोपड़ा, संकल्प के प्रति रुचि रखती हैं।
Sh. Rajiv Ranjan Jha, is concerned and interested, in the resolution.

इसके अतिरिक्त, किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों को कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उक्त संकल्प को पारित करने में वित्तीय रूप से या अन्यथा कोई रुचि नहीं है।

बोर्ड इस सूचना की क्रम सं. 6 में दिए गए संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए सिफारिश करता है।

मद सं. 3 और 6 के अंतर्गत 37वीं एजीएम में नियुक्ति/पुन: नियुक्ति चाहने के लिए निदेशक का ब्यौरा
DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/RE-APPOINTMENT AT 36th AGM UNDER ITEM NO. 3, 5, 6, 7 and 8

नाम	श्री राजीव रंजन झा	श्रीमती परमिंदर चोपड़ा
जन्म तिथि और आयु	26.04.1966/57 वर्ष	30.04.1967/56 वर्ष
अर्हता	• रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक डिग्री • इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा	• दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक डिग्री • एक अर्हता-प्राप्त तथा प्रबंधन कॉस्ट एकाउंटेंट
नियुक्ति की तारीख	28.10.2021	14.08.2023
नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवार्षिता की तारीख तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त किया गया।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से उनकी अधिवार्षिता की तारीख अर्थात 30.04.2027 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
पारिश्रमिक	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।	विद्युत मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी नियुक्ति की मानक शर्तों के अनुसार।
कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	वे मार्च 1997 से पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) में कार्यरत हैं। इन्होंने रांची विश्वविद्यालय के एनआईटी जमशेदपुर से विज्ञान (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री और इग्नू से प्रबंधन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। इन्हें 35 वर्षों का अनुभव प्राप्त है और 27 मई, 2019 से कार्यपालक निदेशक (परियोजना), पीएफसी के रूप में पद का निर्वहन कर रहे थे। इससे पूर्व, वे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा राज्यों में राज्य क्षेत्र समन्वय कार्य सहित पश्चिमी क्षेत्र में पीएफसी के ऋण पोर्टफोलियो संबंधी कार्यों का निर्वहन कर रहे थे। इन्होंने इससे पूर्व पीएफसी के साथ प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कंसोर्टियम ऋण में संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो संबंधी कार्य का	इनके पास विद्युत एवं वित्तीय क्षेत्र में 35 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इन्हें 14 अगस्त, 2023 को पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले, ये दिनांक 01.06.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं और दिनांक 01.07.2020 से निदेशक (वित्त), पीएफसी थीं। निदेशक (वित्त) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, इन्होंने वित्त प्रभाग का नेतृत्व किया, जिससे उच्चतम निवल लाभ, उच्चतम नेट वर्थ और सबसे कम एनपीए स्तर प्राप्त हुआ। इस तरह के सुदृढ़ वित्तीय कार्य-निष्पादन ने पीएफसी को "महारत्न" का सर्वोच्च दर्जा प्राप्त करने में भी मदद की है। इन्होंने विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए 1.12 ट्रिलियन रुपए लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम (एलआईएस) के सफल कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसे भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।

	निर्वहन किया है। इन्होंने पीएफसी के संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा ऋण पोर्टफोलियो संबंधी कार्यों का भी निर्वहन किया है। इन्होंने पीएफसी में परियोजना आकलन (विशेषकर स्वतंत्र निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए) और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं पर भी कार्य किया है। ये परियोजना प्रभाग के समग्र प्रभारी हैं, और ये मूल्यांकन और संरचना, जोखिम विश्लेषण, संवितरण और क्रेडिट मॉनीटरिंग, नीति और दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रबंधन से जुड़े व्यवसाय विकास और परियोजना वित्त कार्यों के लिए का निर्वहन करते हैं। प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से एलपीएस के कार्यान्वयन और सिस्टम संचालित डेटा संकलन के लिए एमओपी का समर्थन करने, कोयले के तृतीय पक्षकार नमूने के लिए सलाहकार पैनलीकरण, शक्ति बी (v) {संचालन समिति और बोली मूल्यांकन समिति के सदस्य}, कोयला आयात, अखिल भारत दबावग्रस्त परिसंपत्ति मॉनीटरिंग, अन्य के लिए कार्यनीति तैयार करने में पीएफसी के प्रयासों का नेतृत्व किया।	पीएफसी में, ये संसाधन जुटाव (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार), बैंकिंग, ट्रेजरी, परिसंपत्ति देयता प्रबंधन और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान सहित प्रमुख वित्त कार्यों का नेतृत्व कर रही थीं। इनके पूर्व अनुभव में एनएचपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी विद्युत क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में सेवा शामिल है। ये विद्युत और वित्तीय क्षेत्र में अनुभव के दुर्लभ मिश्रण का लाभ उठाने और पीएफसी की परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व करने के लिए एक अद्वितीय स्थिति में है। कार्यभार संभालने के साथ, ये विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के वित्तपोषण के अलावा भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के वित्तपोषण में पीएफसी की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। उनके नेतृत्व में, भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा फाइनेंसर के रूप में पीएफसी ने इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, राउंड द क्लॉक जैसे हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय उपकरण निर्माण आदि सहित स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की है और हाल ही में 2.40 लाख करोड़ रुपए के लिए स्वच्छ ऊर्जा डेवलपर्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तथा स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के प्रमुख वित्तपोषक के रूप में उभर रहे हैं। ये संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) और विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) नियमों सहित भारत सरकार की प्रमुख विद्युत क्षेत्र की पहलों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना जारी रखेंगी।
वर्ष के दौरान बोर्ड की बैठकों की संख्या और भाग ली गई बैठकों की संख्या	14/14	14/14#
कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधन और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य	शून्य
कंपनी में धारित शेयरों की सं.	16004	2000
अन्य कंपनियों में निदेशक	• पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड • उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड • कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड • चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड • पीटीसी इंडिया लिमिटेड	• पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

सभी सार्वजनिक कंपनियों में समितियों* की अध्यक्षता/ सदस्यता (सूचना की तारीख तक)	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड • सदस्य, स्टेकधारक संबंध और शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति • सदस्य, लेखापरीक्षा समिति	शून्य
सूचीबद्ध कंपनियों का विवरण जिनसे पिछले तीन वर्षों में इस्तीफा दिया है	**शून्य**	**शून्य**

#निदेशक (वित्त), पीएफसी के रूप में भाग लिया

* इसमें लेखापरीक्षा समिति और शेस्टेकधारक संबंध एवं शेयरधारक/निवेशक शिकायत समिति के अतिरिक्त बोर्ड, समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।